सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार शिक्षकों को उत्तीर्ण करनी होगी पात्रता परीक्षा, नहीं सेवा समाप्त

सेवा में बने रहने के लिये यह उनके लिये अंतिम अवसर होगा, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। कुछ वर्षों पूर्व बिना पात्रता परीक्षा उर्तीण किये शिक्षकों को मध्यप्रदेश सरकार ने नियुक्ति प्रदान कर दी थी अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद अब उन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उर्तीण करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है। ऐसे भी कई शिक्षक थे जो उस समय पर आवश्यक अर्हता भी नहीं रखते थे। हाई स्कूल एवं हायरसेकेण्डरी की परीक्षा तक उत्तीर्ण नहीं थे।

किन्तु तत्समय स्कूलों में पदस्थ किये गये गुरूजी, औपचारिकेत्तर शिक्षा में पदस्थ कई लोगों को शिक्षक के पद पर पदस्थ कर दिया गया। यहां तक कि जो शिक्षक अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके थे उन्हें भी नियुक्ति दे दी गई।

किन्तु अब ऐसे अपात्र शिक्षकों के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय सेवा में खतरे की घंटी के रूप में दिखाई दे रहा है। जिसमें कहा गया है कि सभी अपात्र शिक्षकों को जो पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण थे उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। सेवा में बने रहने के लिये यह उनके लिये अंतिम अवसर होगा। अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

लोक शिक्षण से निर्देश जारी

इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश क्रमांक यूसीआर/सी/85/प्रा.मा.शि./2025-26/356 भोपाल, दिनांक 2 मार्च को सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/ 2025, 1386/2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी दो वर्षों मे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं एवं उनकी सेवा निवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्त होने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने संबंधी आदेश दिया गया है।

जुलाई-अगस्त-2026 में पात्रता परीक्षा संभावित

कहा गया है कि प्राथमिक एवं माध्यम स्तर के सभी संवर्गों की पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई-अगस्त 2026 में संभावित है। इसलिये सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे शिक्षकों को जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें परीक्षा में शामिल होने के संबंध में सूचित करें। इस आदेश के बाद जहां परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों की चिंतायें बढ़ गई हैं। वहीं उनकी सेवाओं को लेकर भी तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि जब पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाना था तब अपात्र एवं परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षकों की पदस्थापना क्यों की गई थी? उन्हें पात्र कैसे माना गया था? ऊपर से गोलमोल होने वाले आदेश और जिलों में उसी आधार पर पदस्थापना आदेश, संविलियन आदेश जारी होना गैर जिम्मेदारों पर भी गंभीर सवाल हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत पानी चौपाल का आयोजन

बिसानी पंचायत के तालाब में की साफ-सफाई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शाहनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत बिसानी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पानी चौपाल के आयोजन सहित गांव के तालाब की साफ-सफाई का कार्य किया गया। सहायक संचालक उद्यान पी.के. श्रीवास्तव ने इस अवसर पर किसानों को पानी के महत्व एवं इसकी उपयोगिता के संबंध में अवगत कराया।

साथ ही विभाग द्वारा संचालित टपक सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई एवं पोर्टेबल सिंचाई योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सभी उपस्थित किसानों को इन योजनाओं में पंजीयन करवाकर लाभ प्राप्त करने की सलाह दी गई। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यमन सिंह ने विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा तालाब की साफ-सफाई कर ग्रामीणों से तालाब को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की गई। इस दौरान तकनीकी सहायक निधि बागरी एवं मानसी श्रीवास्तव भी उपस्थित रहीं।

बड़ागांव के नमन ने प्रदेश प्रावीण्य सूची में बनाया स्थान

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 15 अप्रैल को जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में शासकीय हाई स्कूल बड़ागांव, पन्ना के छात्र नमन शुक्ला ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

विद्यालय के छात्र नमन शुक्ला पिता दीपेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी बड़ागांव देवेन्द्रनगर पन्ना ने 500 में से 491 अंक यानी 98.2 प्रतिशत प्राप्त कर प्रदेश प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान हासिल किया है। नमन ने अपनी इस उपलब्धि से न केवल विद्यालय और गांव, बल्कि पूरे जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है।

छात्र की इस उपलब्धि पर प्राचार्य श्रीमती जान्हवी खरे एवं समस्त विद्यालय परिवार ने नमन शुक्ला का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर छात्र एवं अभिभावक पिता दीपेन्द्र कुमार शुक्ला एवं माता श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला को सम्मानित कर छात्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

इस सम्मान समारोह में विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक श्रीमती अनीता शर्मा, श्रीमती सीमा पाठक, ओ.पी. चतुर्वेदी, राजेश कुमार कोरी, रामानंद सिंह, ऋषिकेश कुमार पटेल व श्रीमती रचना गौतम वर्तमान मध्यान्ह भोजन प्रभारी उपस्थित रहे।

पेयजल प्रदान करने वाली 87 करोड़ की योजना 10 साल बाद भी नहीं दे सकी पानी

वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। 10 वर्ष पूर्व पवई नगरवासियों के लिये 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर 87 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी जो आज तक पूर्ण नही हो सकी और न ही लोगो को शुद्ध पेयजल मिल सका। नगर में शुद्ध पेयजल की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, वह 2026 में भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा है।

करीब 87 करोड़ रुपये की लागत से जय वरुडी कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड गुजरात द्वारा तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट अब विवादों और अव्यवस्थाओं के घेरे में है। जहाँ कागजों पर 24 घंटे पानी का दावा था, वहां हकीकत में लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं।

आलम यह है कि नगरवासियों को एक घंटे भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। नगर के विभिन्न वार्डों से आ रही शिकायतें प्रोजेक्ट की सफलता पर सवालिया निशान लगा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में आज भी पाइपलाइन तक नहीं बिछी, जिसके कारण लोग हैंडपंपों और कुओं पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। देखा जाए तो इस 87 करोड़ के भारी प्रोजेक्ट में निर्माण के साथ-साथ 10 वर्षों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी की है। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनी इस योजना का उद्देश्य पतने नदी से शुद्ध पानी फिल्टर कर हर घर तक पहुँचाना था। लेकिन वर्तमान में एजेंसी और नगर परिषद के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। शासन ने करोड़ों रुपये इसलिए बहाए ताकि लोगों को बुनियादी सुविधा मिल सके, लेकिन पवई में जिम्मेदार एक-दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। एक ओर कंपनी विस्तार के लिए परिषद की अनुमति का इंतजार कर रही है, तो दूसरी ओर परिषद सप्लाई की कमी का रोना रो रही है। इस खींचतान के बीच 87 करोड़ का यह प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हो रहा है।

मैनेजर का दावा, 5 से 6 घंटे हो रही सप्लाई

इस अव्यवस्था के संबंध में जय वरुडी कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड गुजरात के साइट मैनेजर का पक्ष विरोधाभासी है। उन्होंने बताया कि नगर को दो जोन में बांटकर नियमित सप्लाई की जा रही है। वार्ड 1 से 7 तक सुबह और वार्ड 8 से 15 तक शाम को 5 से 6 घंटे की सप्लाई का दावा उन्होंने किया है। पाइपलाइन न होने के सवाल पर उन्होंने गेंद नगर परिषद के पाले में डालते हुए कहा कि हमने 22 इलाकों में 2400 मीटर नवीन पाइपलाइन के लिए नगर परिषद को प्रस्ताव दिया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। केवल वे इलाके छूटे हैं जो 2017 के बाद बसे हैं। जबकि हकीकत इसके इतर है, नगरवासी ही बताते हैं कि पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो रही है।

नगर परिषद की आपत्ति, महज 20 मिनट मिलता है पानी

वही, नगर परिषद पवई के मुख्य नगर पालिका अधिकारी विनीत नगायच ने कंपनी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके अनुसार, कंपनी महज 20 मिनट ही सप्लाई दे पा रही है, बाकी व्यवस्था नगर परिषद को अपने संसाधनों से करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन न होने और अन्य तकनीकी खामियों को लेकर भोपाल में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई सुधार कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सबके अपने दावे हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रोजेक्ट का लाभ पवई के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते नगरवासियों को आज भी दूषित पानी पीने एवं पानी के लिए संघर्ष को विवश होना पड़ रहा है।

पंचायतों में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने प्रभावी कार्रवाई कब?

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। पंचायत क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफकार्रवाई करने के लिये वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 बनाया। 24 दिसम्बर 2014 को इस नियम को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

जबकि उसके पूर्व 1 मार्च 2014 को अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशित किया गया। किन्तु इस अधिनियम व नियम के तहत जिले में अवैध कॉलोनियों की आज तक न तो पहचान की गई और न ही पंचायत क्षेत्रों में निर्मित एवं निर्माणाधीन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सक्षम अधिकारी जिले के कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई ही की गई।

निर्देशों का नहीं हुआ असर- पूर्व में हुये आदेशों के बाद जहां प्रदेश के अन्य जिलों में प्रभावी कार्रवाई हुई वहीं पन्ना जिले में ऐसा नहीं हो पाया। बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऐसे सभी प्रकार के माफ्फिाओं को चिन्हित कर प्रतिवेदन व सूची प्रस्तुत करने तक बातें सीमित रहीं बाद में मामला शान्त हो गया। जनपदों के मुख्य कार्यपालन

अधिकारी ऐसी अवैध कॉलोनियों की सूची व माफ्फिा का नाम प्रशासन तक प्रस्तुत नहीं कर पाये। जिला पंचायत ने भी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया। यहां तक कि पंचायतों के सरपंच व सचिवों द्वारा ऐसी अवैध कॉलोनियों की जानकारियों को सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया।

इसलिये पंचायत क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का गोरखधंधा तेजी के साथ फ्ला और बढ़ा। इसमें सबसे अधिक वह क्षेत्र टारगेट में आये जो शहरी क्षेत्रों की सीमाओं से जुड़े रहे। अधिनियम के अनुसार जिला पंचायत को कॉलोनियों के संबंध में आश्रय निधि के नाम पर एक खाता खोलने के निर्देश थे। किन्तु इस जिले में ऐसे किसी खाते की कोई चर्चा ही नहीं है।

नगरीय सीमा में उठा रहे फायदा

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में एक तरफभारी मात्रा में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था। वहीं दूसरी तरफजिला प्रशासन मूकदर्शक की भूमिका में बैठा हुआ था। यही कारण है कि वर्तमान में केवल नगर पालिका क्षेत्र पन्ना की सीमा में आने वाली पंचायतों का ही यदि सर्वे करवा लिया जाय तो पता चलेगा कि आधा सैकड़ा से अधिक अवैध कॉलोनियां निर्मित हो चुकी हैं। जिससे शासन को आर्थिक रूप से एक पैसी भी न तो पंजीयन शुल्क मिला, न तो लाईसेंस शुल्क मिला और न ही नवीनीकरण शुल्क ही मिला। और तो और इन कॉलोनियों के कारण पंजीयन विभाग को करोड़ों की स्टाम्प ड्यूटी की भी क्षति पहुंचाई गई।

मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने पन्ना प्रवास के दौरान शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में मानव अधिकार हनन एवं उल्लंघन से संबंधित विभिन्न शिकायतों, प्रकरणों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित मामलों का संज्ञान लेते हुए विस्तृत समीक्षा की।

प्रारंभ में जिला कलेक्टर,एस पी व अन्य अधिकारियों द्वारा मा.अध्यक्ष का स्वागत किया गया।डॉ सिंह ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण अधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है। इस दौरान आयोजित जनसुनवाई में पुराने 15 एवं 9 नवीन आवेदक नागरिकों की समक्ष में गंभीरतापूर्वक समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में पन्ना टाईगर रिजर्व सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, वन, शिक्षा, आबकारी, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास तथा श्रम विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को आयोग अध्यक्ष द्वारा सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रीष्मकाल के दौरान स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न आर्थिक सहायता के मामलों में लंबित बकाया राशि के तत्काल भुगतान के संबंध में निर्देशित किया। साथ ही कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य कर आमजनों की हरसंभव सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें तथा अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन भी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि समाज के प्रत्येक नागरिक के मूल एवं मानव अधिकारों का संरक्षण हो सके। आयोग की जनसुनवाई के मौके पर कलेक्टर ऊषा परमार एवं पुलिस अधीक्षक निवेदता नायडू द्वारा भी लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में की गई कार्रवाई विषयक जानकारी से अवगत कराया गया।

अजयगढ़ क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों की कालाबाजारी से उपभोक्ता परेशान

मशीनें खराब होने का बहाना दुकान के सेल्समैन बना रहे

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। अजयगढ़ एवं ग्रामीण अंचल में खुली उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजयगढ़ तहसील क्षेत्र एवं आस पास के ग्राम पंचायतों में खुले उचित मूल्य की दुकानों की आये दिन शिकायतें मिल रही है जिसमें बताया जाता है कि उचित मूल्य की दुकानों में पदस्थ सैल्स मैन दबंग किस्म के लोग होते हैं जो मनमानी करते हैं।

बताया जाता है कि सरकार के द्वारा गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये राशन की दुकानों को संचालित किया है जिसमें शासन के द्वारा प्रतिमाह निर्धारित कोटे के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन दिया जाता है।

बायोमैट्रिक मशीन खराब होने का बहाना:- ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि आए दिन कई राशन दुकानों की बायोमैट्रिक मशीनें खराब होने का बहाना दुकान के सेल्समैन बना देते हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की शिकायत विभाग से की जाती है। मगर मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

आवंटन के बाद भी नहीं बांटते राशन

शासन द्वारा गरीब तबके के लोगों को हर माह शासन केरोसिन, गेंहू, चावल, नमक राशन की दुकानों की दुकानों को आंवटन कर दिया जाता है लेकिन खाद्य सामग्री आंवटन होने के बाद भी राशन को वितरण नहीं किया जाता है। बताया जाता है कि उचित मूल्य की दुकानों में सामग्री आने के पहले ही कालाबाजारी कर ली जाती है और नाम मात्र कुछ खाद्यान्न शक्कर रख लिया जाता है और गांव के जो लोग दबंग होते है उनको दे दिया जाता है है और कह दिया जाता है। कि जितना कोटा मिला था उतना बांट दिया है और जब दोबारा आएगा तब दिया जाएगा। इस तरह से गरीब अपनी दिनभर की मजदूरी छोड़कर बगैर राशन लिये वापस लौट आता है।

फिर आया सड़क पर बाजार, अतिक्रमण की चपेट में सड़कें, यातायात प्रभावित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। कुछ समय तक नगर पालिका की सख्ती के चलते लोग अपना सामान सड़क पर नही रखते थे लेकिन अब नगर पालिका की लापरवाही कहें या कोई गुप्त समझौता कारण जो भी ये नगर पालिका प्रशासन की जान सकता है, लेकिन अब पन्ना नगर का बाजार सड़कों पर आ गया है।

छोटी सी दुकान चलाने वाले दुकान से कई गुना अधिक सामग्री सड़क पर रखते है जिससे पार्किंग तो दूर सड़क संकरी होने से डबल वाहनों की क्रॉसिंग होना मुश्किल हो रहा है। अब शहर के कटरा बाजार, बड़ा बाजार और अजयगढ़ चौराहा से लेकर बडे बाजार से किशोर जी मंदिर जाने वाले मार्ग पर फ्ल सब्जी की दुकानें संचालित हो रही है। सबसे ज्यादा समस्या पंचम सिंह चौराहे और किशोर जी मंदिर मार्ग'' पर है, यातायात व्यवस्था के न होने से सबसे ज्यादा जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ से गुजरने वाले ऑटो और ई-रिक्शा ने हालात और भी खराब कर दिए हैं, जिसकी वजह से इन व्यस्त मार्गों और बाजारों में दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पालिका द्वारा पिछले कुछ वर्षों में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सब्जी एवं फ्ल मंडी को लगाने के लिये स्थान चिन्हित किये गये थे, मकसद यह था कि सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से लगने वाली दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि शहर को जाम से निजात मिल सके। परंतु हुआ इसके विपरीत दुकानदार वहां जाने की वजाय इसी क्षेत्र में दुकान लगाकर बैठे है और सड़कों और फुटपाथों से अपना कब्जा नहीं हटाया। सबसे ज्यादा समस्या पंचम सिंह चौराहे से लेकर बड़ा बाजार और बड़ा बाजार से बल्देव मंदिर रोड की है। यहाँ सड़कों के किनारे सामानों की दुकानें सजी हुई हैं।

लाखों की पगार पाने वाले शिक्षकों की नाकामी उजागर

निजी विद्यालयों के छात्रों ने प्रदेश की मैरिट सूची में रचा इतिहास, महज 5 छात्र ही शासकीय विद्यालयों के मैरिट में आ सके

नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 अप्रैल। पन्ना जिले के इतिहास में पहली बार प्रदेश टॉपर सहित हाई स्कूल की मध्यप्रदेश की मेरिट सूची में 15 छात्रों ने कब्जा कर इतिहास रचते हुये पन्ना जिले का नाम रोशन किया है। इसमें मैरिट में प्रमुख स्थान पाने वालों में सर्वाधिक 10 छात्र निजी विद्यालयों के है।

इससे साफ जाहिर होता है कि लाखो की पगार पाने वाले शिक्षक शैक्षणिक कार्यों से बेवास्ता रहते हुये सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिये विद्यालयों में जाते है वहीं अधिकांश शिक्षक अप-डाउन करते है जो देर से जायेंगे और जल्दी वापिस आ जाते है। अब भला शासकीय विद्यालयों के छात्रों का क्या हाल होगा स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है और परीक्षा परिणामों में भी शासकीय विद्यालय की जर्जर शैक्षणिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अब यह मुद्दा सिर्फस्कूलों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है।

स्थानीय सूत्रों, अभिभावकों और छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। आरोप हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचते, और यदि पहुंचते भी हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अभाव साफनजर आता है। सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक उच्च शिक्षित हैं और मोटा वेतन भी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद

शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता दिख रहा है।

नेताओं की चुप्पी पर जनता नाराज

मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। क्षेत्र के विधायक और सांसद की चुप्पी को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि चुनाव के दौरान शिक्षा सुधार के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है। सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, तब जनप्रतिनिधि आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सरकारी स्कूल ही गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य आधार हैं। लेकिन जब इन्हीं स्कूलों में गुणवत्ता नहीं मिलती, तो यह सीधे-सीधे सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। अभिभावकों का कहना है कि उनके पास निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है, ऐसे में सरकारी व्यवस्था की विफलता उनके बच्चों के सपनों को तोड़ रही है। लगातार बिगड़ती व्यवस्था को लेकर लोगों ने अब खुलकर नाराजगी जतानी शुरू कर दी है।